छत्तीसगढ़ शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्र. एफ 3–29/2020/50 नवा रायपुर, दिनांक 22/03/2021

प्रति,

1. संचालक
   महिला एवं बाल विकास विभाग
   नवा रायपुर (छ.ग.)

2. समस्त संभागायुक्त,
   छत्तीसगढ़

3. समस्त कलेक्टर,
   छत्तीसगढ़

4. जिला कार्यक्रम अधिकारी/
   जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी
   जिला – समस्त, छत्तीसगढ़

5. बाल विकास परियोजना अधिकारी,
   परियोजना – समस्त, जिला – समस्त

विषय :– नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) से संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के संबंध में।

संदर्भ :– विभागीय पत्र क्र. 10/2019–20, दिनांक 13.03.2020 एवं पत्र कमांक एफ 3–29/2020/50 दिनांक 02/09/2020।

---00---

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसके अनुसार स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस तथा गरम भोजन हेतु आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने के निर्देश दिये गये थे। कोविड–19 के वर्तमान प्रसार को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :–

1/ नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) से संक्रमण की रोकथाम हेतु राज्य के समस्त आंगनबाड़ी केन्द्र तथा मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक बंद रखा जाएगा।

2/ उक्त अवधि मे सभी श्रेणी के पात्र हितग्राहियों को प्रावधान अनुसार रेडी–टू–ईट का वितरण किया जाएगा। 03 से 06 वर्ष के बच्चों को गरम भोजन के स्थान पर 06 माह से 03 वर्ष के बच्चों के लिए निर्धारित रेडी टू ईट तथा गर्भवती महिलाओं को गरम भोजन के स्थान पर शिशुवती महिलाओं के लिए निर्धारित रेडी टू ईट का वितरण किया जायेगा। यह सामग्री आंगनबाड़ी केन्द्र से वितरित न किया जाकर घर पहुंच सेवा के रूप में दी जायेगी।

3/ मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अन्तर्गत जिला स्तर पर निर्धारित मीनू अनुसार पोषण सामग्री का रेडी टू ईट के रूप में वितरण किया जा सकेगा।

4/ आंगनबाड़ी केन्द्र में उपलब्ध चांवल व अन्य कच्ची सामग्री का सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित किया जाये अर्थात् इनको खराब होने से बचाया जावे।

........2

5/ आंगनबाड़ी केन्द्रों में स्वच्छता रहे इसका नियमित साफ–सफाई सुनिश्चित की जावे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा ऑनलाईन प्रतिवेदन व अन्य जानकारियों का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करेंगे।

6/ कोविड के प्रोटोकाल को ध्यान में रखते हुए बच्चों की वृद्धि निगरानी तथा बच्चों एवं महिलाओं का नियमित टीकाकरण व स्वास्थ्य जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग से आवश्यक समन्वय करेंगे।

7/ सार्वजनिक कार्यक्रम जैसे – सुपोषण चौपाल, समूह की बैठकें इत्यादि नहीं होंगे पर गृह भेंट के माध्यम से स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा तथा सजग अभियान अन्तर्गत ईसीसीई की गतिविधियां निरंतर रखी जायेंगी। पोषण पखवाड़ा में भी सार्वजनिक कार्यक्रम/बैठकों को छोड़कर शेष गतिविधि निरंतर रखी जा सकती है।

उपरोक्त आदेश का पालन सुनिश्चित करें।

22-3-04

(एफ.करकेट्टा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग

पृ. क्र. एफ 3–29/2020/50 नवा रायपुर, दिनांक /03/2021

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर।
3. उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग